मुकदमा नं. 37/2017

CIO No:- 2017/00075

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख़ अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
14-9-17	पत्रावली आज पेश हुई। वकलाय फरीकैन हाजिर। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ताओं के बहस तर्कों पर मनन किया। प्रार्थी ने दावे के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया। जिसमें व्यक्त किया कि मौजा रोपसी में पुश्तैनी आराजी खसरा नं. 621, 622, 623, 675, 1002, 2414, 2415 जुमले रकबा 4.02 हैक्टर प्रार्थी के पिताजी के फौत होने पर अप्रार्थी सं. 1 से 3 व प्रार्थी के उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। ग्राम रोपसी में खसरा नं. 399 रकबा 2.03 हैक्टर प्रार्थी के माता अप्रार्थी सं. 3 के नाम सामलाती रहते हुए क्रय की गयी थी। उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा है। उक्त आराजी पर काश्तकार प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 3 जीवन यापन करते है। उक्त आराजी पर हिन्दू संयुक्त हिन्दू परिवार की हैसियत से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। खसरा नं. 399 की आराजी अप्रार्थी सं. 3 को बेचान करने का हक नहीं है, इसमें भी प्रार्थी का 1/4 हिस्से का हकदार है। संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति से वंचित करने की नियत अप्रार्थी सं. 3 ने खसरा नं. 399 रकबा 2.03 हैक्टर का अप्रार्थी सं. 5 को दि. 7.7.2017 को विधि विरुद्ध तरीके से बेचान कर दिया। अप्रार्थी सं. 3 अकेले को उक्त आराजी बेचान / हस्तान्तरण के अधिकार नहीं होने से विधि विरुद्ध बेचान की गई है इसलिए बेचाननामा दि. 7.7.17 प्रार्थी के विरुद्ध शून्य घोषित हो। इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 1 से 3 ने मिलकर गलत एवं षडयंत्र से मौजा रोपसी की जमीन खसरा नं. 675	

सहायक कलक्टर
रानीवाड़ा जिला-जालोर

मुकदमा नं. 07/17

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रकबा 0.62 हेक्टेयर आराजी में से 3/4 हिस्सा अजनबी क्रेता अप्रार्थी सं. 4 को जरिये पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज दि. 7-7-17 को बेचान कर दिया। अप्रार्थी सं. 4 के साथ कभी साथ में काश्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं. 4 उक्त आराजी का अजनबी क्रेता है तथा उक्त आराजी का विधिवत बंटवारा करवाये बिना उक्त आराजी में अप्रार्थी सं. 4 को प्रवेश करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। अप्रार्थी सं. 4 व 5 द्वारा प्रार्थी को उक्त आराजी में से लाठी के बल पर बेदखल कर कब्जा करने की धमकी दी जा रही है तथा अप्रार्थी सं. 3 ने गलत एवं अवैध रूप से उक्त पुश्तैनी आराजी बाबत एक हकतर्कनामा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में दि० 7-7-17 को ही करवा दिया। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 से 5 ने बदनियति पूर्वक प्रार्थी को अपने हक से वंचित करने हेतु बेचान व हकतर्कनामा निष्पादित करवाये है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी उक्त सम्पूर्ण आराजी में अपना 1/4 हिस्सा खातेदारी का होने से की घोषणा करवाने का अधिकारी है तथा अप्रार्थी सं. 1 से 5 के अवैध व गैर कानूनी कृत्यों को रुकवाने का प्रार्थी अधिकार है। अप्रार्थी सं. ~~1 से 5~~ 1 से 5 ने पुनः प्रार्थी को दि० 2-8-2017 को पुनः उक्त आराजी से लाठी के बल पर बेदखल करने की एलानिया धमकी दी है। उक्त स्थिति में प्रार्थी सम्पूर्ण आराजी में 1/4 हिस्से का हकदार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है बनता है तथा कब्जा बाबत प्रार्थी का	

ℓ

(हस्ताक्षर) करीपद

मुकदमा नं. 07/17

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
होने से सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है तथा प्रार्थी को अपने 1/4 हिस्से की आराजी से बेदखल करने पर अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को होगी। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा तादफैसला दावा जारी की जावे।	

अप्रार्थी सं. 1 से 3 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहा तथा बहस करनी चाही।

अप्रार्थी सं. 4 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में दर्शित खसरा नं. 621, 622, 623, 675, 1002, 2414 व 2415 जुमले रकबा 4.02 हैक्टेयर की संयुक्त आराजी जमाबन्दी में दर्ज है। जिसमें से खसरा नं. 675 रकबा 0.62 हैक्टेयर में से 3/4 हिस्सा की आराजी अप्रार्थी सं. 1 से 3 द्वारा अप्रार्थी सं. 4 जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज से बेचान की गई है। प्रार्थी का उक्त आराजी में 1/4 हिस्से का हकदार होने 1/4 हिस्से की आराजी इनके लिए छोड़ी हुई है। उक्त बेचान का राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज भी हो चुका है तथा मौके पर हिस्से अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 4 काबिज है। अप्रार्थी सं. 4 ग्राम रोपसी का रहने वाला है तथा उक्त खेत से 1/2 कि. मी. की दूरी रहता है। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 4 अपरिचित व अजनबी व्यक्ति नहीं है अतः अप्रार्थी सं. 4 मौके पर हिस्से अनुसार काबिज होने से अप्रार्थी सं. 4 के रेकार्डेड खातेदार होने से इनके विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अपितु काउण्टर क्लेम के अनुसार अप्रार्थी सं. 4 के कब्जे काश्त में प्रार्थी किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करने की प्रार्थी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।

अप्रार्थी सं. 5 के संबंध में इनके अधिवक्ता ने बहस में तथ्य व्यक्त करना

सहायक कलक्टर
रानीवाड़ा जिला- जालोर

मुकदमा नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अह... की ... तारीख हुक्म
	-चाहा) जवाब प्रस्तुत करना नहीं चाहते हैं। अप्रार्थी सं. 1 से 3 के अधिवक्ता ने भी जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। बहस में इस संबंध में तथ्यों के बारे में उल्लेख करने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 1 से 3 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में व्यक्त किया कि अप्रार्थी सं. 1 से 3 रेकर्डेड खातेदार होने से अपने हक व हिस्से आराजी अप्रार्थी सं. 4 व 5 को बेचान की है तथा क्रेताओं को कब्जा सुपुर्द कर दिया है। प्रार्थी के हक व हिस्से की आराजी का अप्रार्थी सं. 1 से 3 ने बेचान नहीं की है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। अप्रार्थी सं. 4 के विद्वान अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र मय काउंटर क्लेम में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी ने गलत तथ्य पेश कर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाई गई है। अप्रार्थी सं. 4 व 5 ने जरिये पंजीकृत बेचान दस्तावेज से अप्रार्थी सं. 1 से 3 के हक व हिस्से की आराजी क्रय की गई है तथा मौके पर क्रय की गई भूमि का बेचानकर्ता अप्रार्थी सं. 1 से 3 द्वारा कब्जा सुपुर्द कर दिया है। मौके पर अप्रार्थी सं. 4 व 5 अपने हिस्से की आराजी पर काबिज है तथा अप्रार्थी सं. 1 से 3 द्वारा संयुक्त आराजी खसरा नं. 675 रकबा 0.62 हैक्टेयर में से प्रार्थी के हक हिस्से की 1/4 भूमि क्रय नहीं की है तथा प्रार्थी अपने ~~हिस्से~~ 1/4 हिस्से पर मौके पर काबिज है। इस प्रकार प्रार्थी का कोई क्रय भूमि पर हक नहीं बनने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे तथा अप्रार्थी सं. 4 व 5 के कब्जे काश्त में प्रार्थी दखलन्दाजी नहीं करने हेतु तार्फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर पारित किया जावे। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) [illegible]	

मुकदमा नं. 07/17

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 के तहत जारी किये जाने हेतु निम्नलिखित तीन स्तम्भ पर विचार किया जाना न्याय संगत है।

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

प्रथम दृष्टया मामला

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में पैतृक संयुक्त खातेदारी आराजी मौजा सेपड़ी के खसरा नं. 621, 622, 623, 675, 1002, 2414, 2415 कुल रकबा 4.02 हैक्टेयर स्थित है तथा खसरा नं. 399 रकबा 2.03 हैक्टेयर प्रार्थी द्वारा माता ममता देवी लच्छाराम के नाम खरीदना बतलाया। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/4 होना दर्शाया है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज एवं अप्रार्थी सं. 5 द्वारा प्रस्तुत जवाब मय काउंटर क्लेम मय दस्तावेज का अवलोकन किया।

मौजा सेपड़ी की जमाबन्दी संवत 2071-74 के खाता सं. 89 में संयुक्त खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2071-74 के खाता सं. 145 में ममता देवी पत्नि लच्छाराम कौम पुरोहित सा० देह खातेदार दर्ज है।

अप्रार्थी सं. 1 से 3 द्वारा उक्त आराजी में से खसरा नं. 675 रकबा 0.62 हैक्टेयर में से 3/4 हिस्सा अप्रार्थी सं. 5 को जरिये पंजीकृत बेचान ~~दस्तावेज~~ दि० 7-7-17 को बेचान की तथा अप्रार्थी सं. 4 को क्रय भूमि का मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया। इस प्रकार उक्त संयुक्त खातेदारी की आराजी में से 1/4 हिस्सा प्रार्थी के लिए छोड़ा हुआ है। अर्थात अप्रार्थी सं. 1 से 3 द्वारा अपने हिस्से की आराजी से अधिक आराजी का बेचान नहीं किया है। अप्रार्थी सं. 4 ग्राम सेपड़ी का निवासी है, इसलिए अपरिचित, अजनबी नहीं हो सकता।

अप्रार्थी सं. 3 ममता द्वारा ख० नं० 399 रकबा 2.03 हैक्टेयर बेचान [illegible]

सहायक कलक्टर
[illegible] जिला-जालोर

मुकदमा नं. 07/17

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो की तामिल मे

नाम जमाबन्दी में दर्ज है। जिसका अप्रार्थी सं. 5 को जरिए पंजीकृत बेचान दस्तावेज से दि. 07-07-2017 को बेचान किया गया। अप्रार्थी सं. 5 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में व्यक्त किया कि उक्त आराजी अप्रार्थी सं. 3 की स्वामित्व की थी तथा राजस्व रेकर्ड में भी अप्रार्थी सं. 3 के नाम दर्ज है। इसलिए अप्रार्थी सं. 3 को अपनी खातेदारी आराजी बेचान करने का कानूनीया अधिकार है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 3 मामला के नाम जमाबन्दी में दर्ज आराजी शामिल रहते प्रार्थी ने खरीद कर अप्रार्थी सं. 3 के नाम दर्ज करवाने से उक्त आराजी संयुक्त खातेदारी की होना प्रार्थना पत्र में दर्शाया है परन्तु इस संबंध में बहस के दौरान शामलाती में भूमि प्रार्थी द्वारा क्रय करने के कथनों को साबित नहीं कर पाये तथा न ही कोई इस संबंध में प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने किसी प्रकार का पुख्ता साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किए। इस प्रकार प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण प्रथम दृष्टया अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे हैं।

अप्रार्थी सं. 4 व 5 मय के अधिवक्ताओं द्वारा जवाब मय काउण्टर क्लेम तथा बेचान दस्तावेज के आधार पर अप्रार्थी सं. 1 से 3 की कानूनीय हकदारी की भूमि बेचान करना एवं क्रय करना साबित किया तथा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने की कार्यवाही भी करना बताया। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 4 व 5 के विद्वान अधिवक्ता ने अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला होना साबित किया। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी सं. 4 व 5 के पक्ष में बनना साबित है। ~~[illegible]~~

<u>सुविधा का संतुलन</u>

उपर्युक्त विवेचनानुसार अप्रार्थी सं. 4 व 5 को क्रय सुदा आराजी का कब्जा अप्रार्थी सं. 1 से 3 द्वारा मौके पर सुपुर्द कर दिया है तथा मौके पर अप्रार्थी सं. 4 व 5 का कब्जा होने तथा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने कार्यवाही करना अप्रार्थी सं. 4 व 5 के विद्वान अधिवक्ता के कथनों अनुसार है व प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा [illegible] नहीं आने से सुविधा

मुकदमा नं. 02/17

हुक्म या कार्यवाही मय इनिश्यिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो ईस हुक्म की तामिल में जारी हुए

का संतुलन प्रार्थी के हक में नहीं होकर अप्रार्थी सं.4 व 5 के पक्ष मे साबित होता है।

अपूरणीय क्षति

उपर्युक्त विवेचनानुसार अप्रार्थी सं.4 व 5 ने पंजीकृत बेचान दस्तावेज से अप्रार्थी सं. 1 से 3 से खातेदारी भूमि क्रय की गई है। जिसमें प्रार्थी के हिस्से की भूमि क्रय नहीं की गई है। प्रार्थी के हिस्से की आराजी खस नं. 675 मे से 1/4 हिस्सा की छोडी हुई है। विक्रेता अप्रार्थी सं.1 से 3 द्वारा क्रेता अप्रार्थी सं.4 व 5 को क्रय सुदा भूमि का कब्जा भी मौके पर सुपुर्द कर दिया गया है। मौके पर क्रय सुदा आराजी पर अप्रार्थी सं.4 व 5 का कब्जा है।

प्रार्थी के हिस्से की संयुक्त आराजी खस नं. 675 में से 1/4 हिस्सा छोडा हुआ है। खस नं. 399 केवल मगका प्रार्थी की माता के नाम दर्ज होने से स्वअर्जित आराजी होने से अप्रार्थी सं.5 को पूरा रकबा बेचान अप्रार्थी सं.3 ने बेचान किया है तथा अप्रार्थी सं.5 का मौके पर अप्रार्थी सं.3 ने कब्जा भी सुपुर्द कर दिया गया है।

प्रार्थी द्वारा खस नं. 399 सामलाती है तथा प्रार्थी द्वारा क्रय कर अपनी माता मगका के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया है परन्तु इस संबंध प्रार्थी द्वारा कोई पुख्ता सबूत प्रस्तुत नहीं किये है। इस प्रकार अपूरणीय क्षति प्रार्थी को न होकर अप्रार्थी सं.4 व 5 को होनी साबित होती है।

आदेश

अत: उपर्युक्त तीनों स्तम्भों पर विवेचन करने के आधार तीनों स्तम्भ प्रार्थी के पक्ष में साबित कराने में प्रार्थी असफल होने से प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है तथा अप्रार्थी सं.4 व 5 के पक्ष में तीनों स्तम्भ साबित होने से इनका काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है तथा अस्थाई

महायक कलक्टर
रानीवाडा जिला-जालोर

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

APP-A
Grim-I

न्यायालय .... Page (8)

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा :- ....

मुकदमा नम्बर :- .... / 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तामील
	निषेधाज्ञा प्रार्थी के विरुद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि प्रार्थी, अप्रार्थी सं.4 व 5 के क्रय सुदा आराजी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी ताफैसला वाद तक नहीं करें तथा न ही किसी अन्य से करावे। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें तथा इस निर्णय की प्रति तहसीलदार रानीवाड़ा को भेजी जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (हनुमानसिंह राठौड़) सहायक कलेक्टर सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा जिला जालोर	